10-2-23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी के तीन बार आवाज लगवाई गई। बावजूद सूचना के वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली बाद तामील तलमील के दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:22:39 IST
Reason: SelfAttested